न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी जनक सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–161/2019

1. आयुष खण्डेलवाल आयु 27 वर्ष पुत्र श्री सतीश खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी बडगांव तहसील अन्ता जिला बारां राज0 हाल मुकाम म0नं0 778 महावीर नगर प्रथम नियर न्यू जैन टेम्पल कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

(वादी)

बनाम

1. सतीश खण्डेलवाल पुत्र बृजमोहन जाति महाजन निवासी बडगांव तह0 अन्ता हाल मुकाम म0नं0 778 महावीर नगर प्रथम नियर न्यू जैन टेम्पल कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान
2. अर्पिता खण्डेलवाल पुत्री सतीश खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी बडगांव तह0 अन्ता जिला बारां हाल मुकाम म0नं0 778 महावीर नगर प्रथम नियर न्यू जैन टेम्पल कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 अन्ता जिला बारां राज0

(प्रतिवादीगण)

उपस्थित वकील :– श्री भगवान प्रसाद दाधीच (वादीगण)
श्री हरिश शर्मा (प्रतिवादीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांकः– 08/07/19

प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम देवपुरा तहसील अन्ता में खाता संख्या 155 में खसरा नं0 168 रकबा 0.83 है0, खसरा नं0 174 रकबा 1.34 है0, खसरा नं0 176 रकबा 8.16 है0, खसरा नं0 178 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 494/172 रकबा 0.39 है0 किता 5 रकबा 10.92 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादपत्र में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त जमीन पुश्तैनी है जो वादी के पिताजी बृजमोहन जी को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त वर्णित भूमि पुश्तैनी होने से वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 के जन्मतः हक अधिकार निहित है। पक्षकारों का सजरा निम्नानुसार है :–

सतीश खण्डेलवाल

आयुष खण्डेलवाल — पुत्र

अर्पिता खण्डेलवाल — पुत्री

विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज होने के कारण उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 अपनी भूमि को अन्यत्र रहन बेचान करना चाहता है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 का हक अधिकार जन्मतः नियत है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादिया क्रम 2 का हिस्सा

1/3 निहित है तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1 का है। परन्तु प्रतिवादिया क्रम 2 अपने हिस्से 1/3 भूमि का परित्याग अपने भाई व पिता के पक्ष में हकतर्क करती है तथा प्रतिवादिया क्रम 2 अपना कोई हिस्सा प्राप्त नही करना चाहती है। प्रतिवादिया अपने ससुराल में राजीखुशी से निवास कर रही है। जिससे उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज रहेगी। जो निम्नानुसार मौके पर काबिज काश्त है।

वादी को खसरा नं0 168 रकबा 0.83 है0, खसरा नं0 176 रकबा 8.16 है0, खसरा नं0 178 रकबा 0.20 है0 किता 3 रकबा 9.19 है0 भूमि का बतौर पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। प्रतिवादी क्रम 1 की भूमि में से शेष आराजी खसरा नं0 174 रकबा 1.34 है0, खसरा नं0 494/172 रकबा 0.39 है0 किता 2 रकबा 1.73 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज रहेगी। जिस पर प्रतिवादी क्रम 1 काबिज काश्त करता चला आ रहा है। वाद कारण दिनांक 28.06.2019 को वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 से अपनी उक्त भूमि अपने खाते दर्ज कराने के लिए कहा तो प्रतिवादी क्रम 1 साफ इन्कार हो गये। जिस कारण वाद बमुकाम ग्राम देवपुरा तहसील अन्ता में उत्पन्न हुआ। वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बारां को धारा 80 सीपीसी का नोटिस किये बिना यह वाद पत्र प्रार्थना पत्र धारा (2) सीपीसी के तहत पेंश किया गया है। वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि उक्त विवादित आराजियात को प्रतिवादीगण अन्य रहन, बेचान एवं खुर्दबुर्द नही करें, वादीगण को अपने हिस्से की भूमि पर शान्तिपर्वूक काश्त करने देवें, वादीगण की काश्त व्यवस्था में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें। ऐसा कार्य ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। वाद पत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकारी माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वादपत्र उचित न्यायाशुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वादपत्र पेंश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की सादिर डिक्री एवं निर्णय पारित फरमाया जावें कि

(1) ग्राम देवपुरा तहसील अन्ता में खाता संख्या 155 में खसरा नं0 168 रकबा 0.83 है0, खसरा नं0 174 रकबा 1.34 है0, खसरा नं0 176 रकबा 8.16 है0, खसरा नं0 178 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 494/172 रकबा 0.39 है0 किता 5 रकबा 10.92 है0 भूमि में से खसरा नं0 168 रकबा 0.83 है0, खसरा नं0 176 रकबा 8.16 है0, खसरा नं0 178 रकबा 0.20 है0 किता 3 रकबा 9.19 है0 का वादी को बतोर पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी क्रम 3 को आदेशित किया जावें कि वादी की भूमि को राजस्व रिकार्ड में पृथक से खाते दर्ज की जावें।

(2) वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि उक्त विवादित आराजियात को प्रतिवादीगण अन्य रहन, बेचान या खुर्द बुर्द नही करें, वादी को अपने हिस्से की भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें, वादी की काश्त व्यवस्था में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें। ऐसा कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

(3) अन्या न्यायोचित सहायता वादी को प्रतिवादीगण से दिलायी जावें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी करवाई गई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री हरिश शर्मा द्वारा वकालत नामा के साथ पक्षकारान न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से

आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर सीधा राजीनामा पेश किया राजीनामानुसार ग्राम देवपुरा तहसील अन्ता में खाता संख्या 155 में खसरा नं0 168 रकबा 0.83 है0, खसरा नं0 174 रकबा 1.34 है0, खसरा नं0 176 रकबा 8.16 है0, खसरा नं0 178 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 494/172 रकबा 0.39 है0 किता 5 रकबा 10.92 है0 भूमि स्थित है। पक्षकारों का सजरा निम्नानुसार है :–

सतीश खण्डेलवाल

आयुष खण्डेलवाल
पुत्र

अर्पिता खण्डेलवाल
पुत्री

विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज होने के कारण उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 अपनी भूमि को अन्यत्र रहन बेचान करना चाहता है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 का हक अधिकार जन्मतः नियत है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादिया क्रम 2 का हिस्सा 1/3 निहित है तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1 का है। परन्तु प्रतिवादिया क्रम 2 अपने हिस्से 1/3 भूमि का परित्याग अपने भाई व पिता के पक्ष में हकतर्क करती है तथा प्रतिवादिया क्रम 2 अपना कोई हिस्सा प्राप्त नही करना चाहती है। प्रतिवादिया अपने ससुराल में राजीखुशी से निवास कर रही है। जिससे उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज रहेगी। जो निम्नानुसार मौके पर काबिज काश्त है।

वादी को खसरा नं0 168 रकबा 0.83 है0, खसरा नं0 176 रकबा 8.16 है0, खसरा नं0 178 रकबा 0.20 है0 किता 3 रकबा 9.19 है0 भूमि का बतौर पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने में प्रतिवादी क्रम 1 व प्रतिवादिया क्रम 2 को कोई ऐतराज नही है। वादी को पृथक से खातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादी क्रम 1 की भूमि में से शेष आराजी खसरा नं0 174 रकबा 1.34 है0, खसरा नं0 494/172 रकबा 0.39 है0 किता 2 रकबा 1.73 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज रहेगी। जिस पर प्रतिवादी क्रम 1 काबिज काश्त करता चला आ रहा है। उक्त बटवारा से वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 एवं प्रतिवादिया क्रम 2 सहमत है। प्रतिवादिया क्रम 2 ने अपने हिस्से का परित्याग मौखिक रूप से वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में कर दिया है। उक्त राजीनामा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ने आपसी सहमति से बिना किसी दाब दबाव के, अपनी स्वैच्छा से पूर्ण सोच विचार करके किया है जिसमें दोनो पक्ष पूर्णरूप से सहमत है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र निर्णय एवं डिक्री पारित फरमाया जावें।

प्रस्तुत वाद/दस्तोवजो का गहन अध्ययन किया गया एवं अभिभाषक पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया तथा पक्षकारों द्वारा राजीनामा अपने स्वंय के द्वारा लिखवाया जाना स्वीकार किया गया। वादीगण की पहचान श्री भगवान प्रसाद दाधीच अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की पहचान श्री हरिश शर्मा अधिवक्ता द्वारा की गयी। राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि राजीनामा अनुसार ग्राम देवपुरा तहसील अन्ता के खाता संख्या 155 में वादी को खसरा नं0 168 रकबा 0.83 है0, खसरा नं0 176 रकबा 8.16 है0, खसरा नं0 178 रकबा 0.20 है0 किता 3 रकबा 9.19 है0 भूमि का वादी को बतौर पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया

जाता है एवं प्रतिवादी क्रम 1 की भूमि में से शेष आराजी खसरा नं0 174 रकबा 1.34 है0, खसरा नं0 494/172 रकबा 0.39 है0 किता 2 रकबा 1.73 है0 भूमि का प्रतिवादी क्रम 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा अपना हिस्सा 1/3 का हक त्याग वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में बराबर–बराबर करने से प्रतिवादी क्रम 2 का कोई हिस्सा नही रहेगा। वादी व प्रतिवादी क्रम 1 का खाता पृथक–पृथक दर्ज दिये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिर्कोड में अमल दरामद किया जावें राजीनामानुसार अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार अन्ता को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में वर्णित भूमि पर समस्त प्रकार के भार/ऋण (रहन) यदि कोई होतो यथावत दर्ज किया जावे। एवं आवश्यक हो तो नियमानुसार हकतर्क स्टाम्प डयूटी जमा करवाई जाकर निर्णय अनुसार पालना कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय हमारे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनाक 08/07/19. को सरे इजलास सुनाया गया।

(जनक सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
अन्ता जिला बारां (राज0)